न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2019/00168
मिसल नम्बर–88 / 2019

1. लोकेश कुमार उर्फ मुकेश कुमार आत्मज स्व. श्री तेजराज जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा।

वादी।

बनाम

1.जमनाशंकर पुत्र स्व. श्री तेजराज जी जाति मीना
2.महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री तेजराज जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा
3.श्रीमति चन्द्रकान्ती बेवा स्व. श्री तेजराज जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा
4.रामेश्वर आत्मज स्व. श्री रंगलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा
5.श्रीमति कंचन बाई बेवा स्व. श्री रंगलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा
6.अजय पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जी
7.निशा पुत्री स्व. श्री बद्रीलाल जी
8.प्रीति पुत्री स्व. श्री बद्रीलाल जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा नाबालिग जरिये बबिलायात माता स्वयं श्रीमति रोशन बाई पत्नी स्व. श्री बद्रीलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा
9.श्रीमति रोशन बाई पत्नी स्व. श्री बद्रीलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

प्रतिवादीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188,88,89 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक...28/01/21.

उपस्थिति:–
1.श्री अनुराग गुप्ता, अधिवक्ता वादी।
2.श्री आशीष अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,136 के तहत् वाद–पत्र वादीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 व 2 सगे भाई है तथा प्रतिवादी क्रम–3 वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 व 2 की माता है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 व 2 के पिता तथा प्रतिवादी क्रम–3 के पति श्री तेजराज जी आत्मज स्व. रंगलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के शामलाती खाते एवंकब्जे काश्त मे ग्राम राजनगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मेंखसरा नम्बर 232 की रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 कीरकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 की रकबा 0.36

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हैक्टर, खसरा नम्बर 291 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 की रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 की रकबा 0.25 हैक्टर कुल 9 किता की रकबा 2.71 हैक्टर कृषि आराजीयात स्थित चली आ रही थी। उक्त आराजीयात मे श्री तेजराज जी (वादी के पिता) का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकोर्ड था। तेजराज जी का दिनांक 14.04.98 को स्वर्गवास हो चुका है। वादी के पिता के स्वर्गवास के समय वादी मात्र 1 वर्ष का था तथा प्रतिवादी क्रम–1 व 2 भी नाबालिग थे। वादी को घर पर मुकेश के नाम से बुलाते थे तथा वादी का बोलता नाम मुकेश था। वादी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त उनका फौती इन्तकाल वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम–1 लगायत 3 के पक्ष में सम्भाग से तस्दीक किया गया था। तद्‌परान्त वादी का नामकरण संस्कार हुआ तथा वादी का नाम लोकेश कुमार आत्मज स्व. श्री तेजराज जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा रखा गया। परिवार के राशन कार्ड में, वादी के वोटर आई.डी. मे तथा वादी की सैकेण्ड्री व हायर सैकेण्ड्री की अंक तालिका मे भी वादी का नाम लोकेश कुमार आत्मज श्री तेजराज जी जाति मीणा दर्ज है। वादी को गावं, समाज तथा जाति में लोकेश कुमार तथा मुकेश कुमार दोनो ही नाम से जानते है तथा पहचानते है। प्रतिवादीगण क्रम –1 लगायत 3, वादी को उपरोक्त आराजीयात मे निहित उसके सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर से बेदखल करने पर अमादा है, इस कारण से वादी को उपरोक्त वाद प्रस्तुत उपरोक्त आराजीयात पर से वादी को बेदखल नही करने के सम्बन्ध मे प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 को उक्त वाद के माध्यम से पाबंद करवाना आवश्यक हो गया है तथा वादी को उपरोक्त आराजीयात पर कृषि हेतु बैंक से लोन लेने की आवश्यकता है, जिस कारण से वादी के उपरोक्त आराजीयात मे वर्तमान राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज वादी का बोलता नाम मुकेश कुमार के साथ वादी का वास्तविक नाम लोकेश कुमार उर्फ के अंकन के साथ दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 18.09.2019 को तहसीलदार साहब लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के समक्ष उक्त खाते में मुकेश कुमार उर्फ लोकेश कुमार का नाम अंकन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर नाम जोडने से इन्कार कर देने पर तथा प्रतिवादीगण क्रम–1 लगायत 3 द्वारा वादी को दिनांक 23.09.2019 को उपरोक्त आराजीयात में निहित वादी के हिस्से पर से बेदखलन करने की धमकी देने पर तथा वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हआ है। प्रतिवादीगण क्रम–1 लगायत 3, वादी को उसके खाते की उपरोक्त आराजीयात मे निहित उसके सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर से बेदखल कर कब्जा करने पर अमादा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण त्वरित अनुतोष से सम्बन्धित है, क्योकि यदि प्रतिवादीगण उनके उपरोक्त गैर कानूनी कृत्य मे कामयाब हो गये, तो ऐसी स्थिति मे वादी का दावा प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जावेगा। इस कारण से प्रतिपक्षी नम्बर–10 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस देना संभव नही है, उक्त कारण से धारा 80 सीपीसी के नोटिस की अनिवार्यता की छूट प्रदान करने हेतु पृथक से धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कारण से वादी को धारा 80 सीपीसी के नोटिस से छूट दिये जाने का आदेश प्रदान फरमाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत् होगा। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के शामलाती खाते एवं कब्जे की भूमि वाके ग्राम राजनगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 232 की रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 291 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 की रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 की रकबा 0.25 हैक्टर कुल 9 किता की रकबा 2.71 हैक्टर में उक्त कारण से दर्ज वादी के नाम मुकेश कुमार के साथ उर्फ लगाकर लोकेश कुमार के नाम का अंकन किये जाने का आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करे एवं प्रतिवादी क्रम–1 लगायंत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी को उसके उपरोक्त आराजीयात मे निहित सम्पूर्ण हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे तथा वादी को उपरोक्त आराजीयात पर शान्ति पूर्वक उपयोग

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

...भोग करने देवे एवं काश्त करने देवे, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। अन्य जो भी न्यायोचित सहायता हो वादी का प्रदान फरमाई जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बाद तलबी वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वाद–पत्र पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने के पश्चात प्रकरण में साक्ष्य वादी ली गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में साक्ष्य शपथ पत्र लोकेश कुमार उर्फ मुकेश कुमार पेश किया तथा प्रदर्श 1–राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सेकेन्डरी परीक्षा कक्षा 10 की अंकतालिका, प्रदर्श 2– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श 3–श्री तेजराज का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4–केन्द्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, प्रदर्श 5–मूल निवासी प्रमाण पत्र, प्रदर्श 6–यूर्निवसिटी कोटा की अंकतालिका, प्रदर्श 7–राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श किये गये।

शाक्ष्य वादी के पश्चात प्रतिवादी की ओर से जिरह वादी नही करने एवं साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही किये जाने के कारण पत्रवाली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस उभयपक्षीय अभिभाषक सुनी गई।

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अनुराग गुप्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ ग्राम राजनगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मेंखसरा नम्बर 232 की रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 कीरकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 291 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 की रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 की रकबा 0.25 हैक्टर कुल 9 किता की रकबा 2.71 हैक्टर कृषि आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुकेश कुमार के स्थान पर मुकेश कुमार उर्फ लोकेश कुमार अंकित करने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। संलग्न दस्तावेजों यथा प्रमाण पत्र, अंक तालिका, पहचान पत्र के अवलोकन से वादी द्वार वाद पत्र में किये गये कथनों की पुष्टि होती है। जिस कारण से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाता है और तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम राजनगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मेंखसरा नम्बर 232 की रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 कीरकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 291 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 की रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 की रकबा 0.25 हैक्टर कुल 9 किता की रकबा 2.71 हैक्टर कृषि आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुकेश कुमार के स्थान पर मुकेश कुमार उर्फ लोकेश कुमार दर्ज किया जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाक:.......28/9/21......... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★)

गजेन्द्र सिह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा